न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-88/2009

भूराराम पुत्र भगताराम जाति माली निवासी ढाणी बडी मालियान तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- मदनलाल पुत्र रूड़ाराम जाति धोबी निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

2- मीरा पुत्री भगवानसहाय जाति माली निवासी ढाणी भोपा की तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

3- रूडाराम
4- ग्यारसीलाल } पुत्रगण मुरली जाति जांगिड़ निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर (भूमिधारक)

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 6-8-2009 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री विनोद सरोज एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.3.2018

Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 375 रकबा 0.45 हैक्टर, ख0नं0 379 रकबा 0.54 हैक्टर, ख0नं0 380 रकबा 0.45 हैक्टर, ख0नं0 438 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता--4 रकबा 1.48 हैक्टर ग्राम थोर्ई में अवस्थित है जिसका वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रतिवादीगण के नाम बना हुआ है। उक्त आराजी के पुराने ख0नं0 270 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 271 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 273 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0 274 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 275 रकबा 12 बिस्वा कुल किता-5 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा है। जिसकी खातेदारी 1/2 हिस्से की खातेदारी मु0 बिदामी बेवा भगवान सहाय के नाम थी। बिदामी ने अपने 1/2 हिस्से में से दिनांक 15-7-1958 को 2 बीघा पक्की अर्थात सम्पूर्ण भूमि का 1/3 हिस्सा जरिये इकरारनामा वादी को बेचान कर दिया तथा कब्जा सम्भला दिया। प्रतिवादीगण का इस आराजी पर 15-7-1958 से कोई कब्जा काश्त एवं किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा। वादी अपनी उक्त आराजी पर क्रय के बाद काबिज काश्तकार है। राजस्व कर्मचारियों की लापर--वाही से प्रतिवादी स0-1 से 3 का उक्त आराजी पर गलत रूप से दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी होने पर वादी प्रतिवादी सं0-1 से 3 को कहा तो उन्होंने रेकार्ड दुरूस्त कराने के लिये कहा किन्तु अब प्रार्थीगण ने मना कर दिया जिस पर यह दावा पेश किया गया। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा अपीलान्ट ने रेकार्डेड खातेदार मु0 बिदामी बेवा भगवान सहाय से दिनांक 15-7-1958 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से लगातार उक्त आराजी के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दिनांक 9-12-1996 को राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 का कोई

हक हिस्सा नही 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम कर दी जावे ।उक्त राजीनामा अदालत मातहत द्वारा तस्दीक किया गया । अपीलान्ट का दावा बस्ये राजीनामा डिक्री किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने वादी का दावा खारिज कर कानूनी भूल की है ।प्रतिवादी सं0- 2 व 3 अदालत मातहत में बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । इस के बाद वादी द्वारा दावे की पुष्टि में बयान बतौर पी0डब्लू -1, 2, व3 करवाये । जिसमें दावे में दर्ज तथ्यों को स्वीकार किया है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने वादी का दावा साबित न मानकर निर्णय करने में कानूनी भूल की है । अदालत मातहत ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही वादी का साबित नहीं मानकर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर वादी का दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में प्रतिवादी सं0-2 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये तथा प्रतिवादी संख्या-1 ने राजीनामा पेश कर अपीलान्ट को विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करने का राजीनामा किया है तथा 1/3 हिस्से पर अपीलान्ट का ही कब्जा बताया है ।जब राजीनामा कर प्रतिवादी ने वादी का कब्जा मान लिया है तो आदेश-23 नियम-3 सीपीसी के अनुसार दावा डिक्री किया जाना चाहिये जैसा आरआरडी 1993 पेज-821 {एच0सी0} में स्पष्ट किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित बताते हुये कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी के 1/3 हि0 पर कब्जा काश्त साबित नहीं है । विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 का है जो अनुसूचित जाति का सदस्य है वह स्वर्ण जाति के सदस्य से राजीनामा नहीं कर सकता। अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अपना निर्णय दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है ।अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0-2008 से 2027 में ख0नं0 124,125,270,271,273,274 275 कुल किता-6 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी मु0 बिदामी बेवा ववव भगवान सहाय हि0 1/2, भूरामल विश्वेश्वर दयाल जगदीशप्रसाद चिरंजीलाल झाबरमल पि 0 प्रहलाद हि0 ब0 1/2 महाजन के नाम दर्ज है । जमाबन्दी पर नोट दर्ज है नामान्तरकरण सं0 2 से ख0नं0 270,271,273,274,275 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा रूडा पुत्र गोमा धोबी 1/3, बाला पुत्र सुखा माली 1/3, गोपी पुत्र गणेश माली 1/3 के नाम दर्ज है ।नामान्तरकरण सं0-130 के द्वारा ख0नं0 270,271,273,274,275 रूडा पुत्र गोमा धोबी 1/3, भगवानसहाय पुत्र बला माली 1/3 गोमा पुत्र गणेश जांगीड 1/3 हिस्सा दर्ज है ।प्रदर्श-2 नकल जमाबन्दी सं0-2050 से 2053 में आराजी ख0नं0 375,379,380,438 कुल किता 4 रकबा 1.48 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है । राजीनामा दिनांक 9-12-1996 में प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट सं0-1 ने राजीनामा प्रतिवादीगण की 1/3 हिस्से की आराजी का खातेदार वव वादी/अपीलान्ट को घोषित करने का किया है । राजीनामा करने वाला व्यक्ति रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 जाति से धोबी है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है तथा अपीलान्ट जाति से माली है जो अन्य पिछड़ावर्ग में आता है । जिसको अनुसूचित जाति की आराजी की खातेदारी किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती । पत्रावली पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा हो ऐसी कोई साक्ष्य भी मौजूद नहीं है ।विवादित आराजी

प्रदर्श-2 में रेस्पोन्डेन्टस् के नाम दर्ज है । जिसकी 1/3 हिस्से की आराजी की खातेदारी महज रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 जो अनुसूचित जाति का सदस्य है उसके द्वारा राजीनामा किये जाने पर अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती । अपीलान्ट ने उक्त आराजी को खातेदार बिदामी से दिनांक 15-7-1958 को क्रय करना बता बताया है ।अपीलान्ट के विद्वान वकील ने कानूनी नजीर आरआरडी 1993 पेज 821 पेश की है जिसमें आदेश-23 नियम-3 सीपीसी बाबत पेश किया है । प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा अपीलान्ट अन्य पीछडा वर्ग का सदस्य है । विक्रय करार15-7-1958 का है प्रस्तुत नजीर के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को अदालत मातहत को विक्रय करार सन् 1958 का होने से इस सन्दर्भ में तथ्यों पर पुनः साक्ष्य लेकर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित होने से अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6-8-2009 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाता है । पक्षकार अदालत मातहत में दि0 7-5-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया ।

23/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर